



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 160 राँची, गुरुवार,

7 अप्रैल, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2022

संख्या-खा.प्र. 04/खाद्य. भण्डा.-25/2007(खण्ड-1)-1011,--भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-का.आ. 452 (अ), 03.02.2022 के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में निम्नांकित संशोधन किया गया है: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(क) इस अधिसूचना का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) अधिसूचना, 2022 है।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खण्ड 3 में, उप-खण्ड (2) में मद संख्या (iii) में और 08 अक्टूबर, 2021 के आदेश के 3 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा:-

"(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 जून, 2022 तक की अवधि तक एकसाथ सभी खाद्य तेलों और तिलहन की स्टॉक सीमा निम्नानुसार होगी;

आवश्यक वस्तु का नाम	खुदरा	थोक	बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की बड़ी चेन)		प्रोसेसर
			खुदरा दुकानें	डिपो	
खाद्य तेल	30 क्विंटल	500 क्विंटल	30 क्विंटल	भंडारण क्षमता के 90 दिन	भंडारण क्षमता के 90 दिन
खाद्य तिलहन	100 क्विंटल	2000 क्विंटल	-		खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अपवाद लागू होंगे:-

- कोई निर्यातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रेक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है।
- कोई आयतक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रेक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है।

3. यदि संबंधित विधिक इकाईयाँ द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in>) पर की जाएगी और इसे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस नियंत्रण अधिसूचना में निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायी जाएगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के स्टॉक को नियमित रूप से घोषित किया जाए और इसे उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर अद्यतित किया जाए।

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
